FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री मगना	**बनाम**	श्रीमती देऊ बाई व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 03 / 2021 प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
07.09.2021	वकील उभय पक्ष उपस्थित। इस प्रकरण में याची द्वारा अयाचीगण के विरूद्ध एक अवमानना याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अचायीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2017 जिसका रूक्का दिनांक 21.03. 2017 को जारी हुआ, की पालना नहीं की है। अतएवं उन्हें दोषी घोषित किया जाकर सिविल जेल से दण्डित किया जावें तथा उनकी चल–अचल सम्पत्ति कुर्क की जावें। किसी भी अवमानना योचिका प्रकरण में उक्त अवमानना चायिका सिद्ध किये जाने का दायित्व याची का होता है। प्रकरण में अयाचीगण द्वारा खण्डन का जबाब प्रस्तुत कर अवमानना नहीं किये जाने का उल्लेख किया है। प्रकरण में याची द्वारा अपनी याचिका के साथ संलग्न में अमरचंद जाट एवं गोविन्दसिंह शक्तावत के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं। प्रकरण में जबाब आने के पश्चात् अपनी याचिका को सिद्ध करने के लिए याची को अनेक अवसर दिये गये। दिनांक 25.03.2021 को अपनी साक्ष्य से जिरह के लिए अवसर दिया गया एवं इसके बाद और भी अनेक अवसर दिये गये। अंततः दिनांक 06.09.2021 को याची द्वारा अपनी साक्ष्य जिरह के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे बिना जिरह याची की साक्ष्य को विधिक रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। वकील याची द्वारा अपनी याचिका में वर्णित तथ्यों जिसमें स्थगन आदेश का उल्लंघन किये जाने का वर्णन किया है, परन्तु उसे दौराने बहस प्रमाणित करने के लिए कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। याची द्वारा यह अवमानना याचिका को सिद्ध नहीं किया जा सका है, अतएवं अवमानना याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है।		